भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2229

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों के लिए राजसहायता का आवंटन और संवितरण

2229. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान उर्वरकों के लिए वर्ष-वार कुल कितनी राजसहायता आवंटित और संवितरित की गई है;
(ख) उन प्रमुख प्रकार के उर्वरकों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए राजसहायता प्रदान की गई है; और
(ग) सरकार द्वारा देश भर में किसानों को लाभान्वित करने के लिए उर्वरक सब्सिडी का समय पर संवितरण और उचित लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए केरल सहित राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): केंद्र सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान उर्वरकों के लिए आवंटित और संवितरित सब्सिडी की कुल राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	संवितरित राशि
2020-21	138527.30	131229.51
2021-22	162072.12	157640.08
2022-23	254798.88	254798.88
2023-24	197457.18	195420.51
2024-25	177129.50	177129.50

(ख): सरकार के संगत नीतिगत ढांचे के तहत, यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरियट ऑफ पोटाश (एमओपी) और सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) सहित एनपीके मिश्रित विभिन्न उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, गैर-रासायनिक उर्वरकों जैसे किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम), तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम) और फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) पर भी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ग): सरकार ने केरल राज्य सहित देश भर में उर्वरक सब्सिडी के समय पर संवितरण और उचित लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक अखिल भारतीय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की है। डीबीटी प्रणाली में खुदरा विक्रेता द्वारा लाभार्थी को पीओएस मशीनों के माध्यम से की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक उत्पादन/आयात करने वाली कंपनियों (आयातित यूरिया को छोड़कर) को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। खरीदार की पहचान आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित की जाती है। उर्वरक की बिक्री 'बिना किसी मनाही' के आधार पर की जा रही है। कोई भी लाभार्थी देश भर में आधार प्रमाणीकरण के आधार पर उर्वरक खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार देश भर में उर्वरक संचलन, स्टॉक की स्थिति और बिक्री की रियल टाइम निगरानी करने के लिए एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) का संचालन करती है। इस प्रणाली से सब्सिडी तंत्र की प्रभावी निगरानी और इसका सुचारू निष्पादन सुनिश्चित होता है। उर्वरक कंपनियां पीओएस मशीनों के माध्यम से की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर सब्सिडी के साप्ताहिक दावों को जेनरेट करती हैं, और विभाग द्वारा 'पहले आओ पहले जाओ' (एफआईएफओ) के आधार पर दावों पर कार्यवाही की जाती है और इनका निपटान किया जाता है, जिससे समय पर निपटान और कुशल निधि प्रबंधन हो पाता है।

ये उपाय उर्वरक सब्सिडी को समय पर जारी करना और उचित लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करते हैं। केरल के किसानों सहित सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरक की आपूर्ति की जाती है, और कोई भी किसान अधिकृत खुदरा विक्रेताओं से खरीदने पर प्रत्यक्ष रूप से सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।

****